

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

रौ• 716] No. 716] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 1995/पीब 6, 1917 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1995/ PAUSA 6, 1917

कल्याण मंत्रालय

आधिस्खना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1995

काष्आः 1007(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्क अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 1996 को उस तारीख के रूप में, जिसको उक्त अधिनिधम प्रथृत होगा, नियत करती है।

[सं॰ 1(15)/95-वक्फ] एम॰ एस॰ अहमद, संयुक्त सन्विव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 1995

S.O. 1007(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby appoints the 1st day of January. 1996, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 1(15)/95-Wakf] M. S. AHMAD, Jt. Secy.